

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.1(63)नविवि/जयपुर/2016

जयपुर, दिनांक 24 AUG 2016


परिपत्र

भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापना और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) दिनांक 01.01.2014 से प्रभाव में आ चुका है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूमि अवाप्ति पुर्नस्थापना और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 बनाये जा चुके है। विभागीय परिपत्र दिनांक 22.12.2015 के क्रम में अवाप्त भूमि के बदले विधिवत खातेदार द्वारा विभाग में विकल्प प्रस्तुत करने पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें से 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि दी जाती है।

विकसित भूमि संबंधित न्यास के द्वारा उपलब्ध कराने के पश्चात कितने समय में निर्माण किया जाना चाहिए का उल्लेख अधिनियम/नियम/परिपत्र में उल्लेखित नहीं है। राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियमों में आवंटन/नीलामी में निर्माण अवधि निश्चित की हुई है। विकसित भूमि आवंटित होने के पश्चात उक्त नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है। अतः अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित करने के पश्चात निर्माण अवधि एतद द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

1. विकसित भूमि के लीज डीड निष्पादित होने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि में निर्माण किया जाना आवश्यक है।
2. विकसित भूमि के लीज डीड निष्पादित होने की दिनांक से 10 वर्ष पश्चात प्रति वर्ष आरक्षित दर का 1 प्रतिशत राशि पुर्नग्रहण शुल्क लेते हुए न्यास/प्राधिकरण के द्वारा निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।
3. जिन भूखण्डों को अवाप्त भूमि के बदले आवंटन हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु अभी तक निर्माण नहीं किया हुआ है, उन भूखण्डों पर 30 जून, 2018 तक बिना शुल्क निर्माण किया जा सकेगा। दिनांक 30 जून, 2018 के पश्चात ऐसे भूखण्ड जिनको 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है उन्हें पुर्नग्रहण शुल्क आरक्षित दर की प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत राशि वसूल कर न्यास/प्राधिकरण के द्वारा निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय